

17,000 रु. की सामग्री चुराई
गोंदिया-ग्रामीण थाने के तहत नवरगांव कला में स्थित भारत गैस एजन्सी के गोदाम का ताला तोड़कर अज्ञात व्यक्ति ने लोहे का तार, 13 लोहे के एंगल ऐसा कुल 17 हजार रु. का माल चुरा लिया. सिविल लाइन निवासी फियादी प्रणव प्रदीप रहंगडाले (32) की शिकायत पर ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

बुलंदगोंदिया

सप्ताहिक खबरों का आईना
प्रधान संपादक : अभिषेक चौहान | संपादक : नवीन अग्रवाल
E-mail : bulandgondia@gmail.com | E-paper : bulandgondia.net | Office Contact No. : 7670079009 | RNI NO. MAH-HIN-2020/84319



वर्ष : 4 | अंक : 38 गोंदिया : गुरुवार, दि. 2 मई से 8 मई 2024 पृष्ठ : 4 मूल्य : रु. 5

12 वर्षीय नाबालिगा के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले में 4 नाबालिग आरोपीयो को हिरासत में लेकर पुलिस ने भेजा बाल सुधारगृह

7 दिन बाद पुलिस लो मिली सफलता मोबाईल चैट से मामले का हुआ खुलासा



बुलंद गोंदिया। 19 अप्रैल को देवरी तहसील के चिचगड थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोठनपर में एक शादी समारोह में घटित इंसायनियत को शर्मसार करने वाली घटना ने गोंदिया जिले सहित पूरे विदर्भ को हिलाकर रख दिया। 12 साल की एक मासूम का अपहरण कर, उसके साथ दरिंदगी फिर निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना में 6 दिनों तक आरोपियों की पकड़ न होने पर अनेक सामाजिक संगठन, आदिवासी समाज संगठनों तथा जनप्रतिनिधियों ने सड़क पर उतरकर आरोपियों की पकड़ व कड़ी कार्रवाई की मांग की थी, जिसे लेकर पुलिस पर बड़ा प्रेशर था।

पुलिस टीम ने पिछले 6 दिनों से जबरदस्त तरीके से जांच कर (27 अप्रैल को) इस घटना को अंजाम देने वाले 4 नाबालिग लड़कों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक गोंदिया निखिल पिंगले, अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा एवं एसडीपीओ विवेक पाटील के मार्गदर्शन में आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्र परिषद लेकर पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि इस वारदात के बाद से ही 40 पुलिस कर्मियों की 6 टीम मुसैदी से जांच में जुटी हुई थी। हर एक एंगल से पुलिस जांच कर रही थी, 100 से अधिक लोगों से पूछताछ हुई, आरोपियों की पकड़ के लिए 50 हजार रुपये का इनाम भी रखा पर सफलता हाथ नहीं

नाबालिग बालकों को नागपुर के बालसुधार गृह में 17 मई तक के लिए भेज दिया है। इस कार्रवाई को पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले, अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा, उपविभागीय पोलीस अधिकारी देवरी विवेक पाटील के मार्गदर्शन में लोकल फ्राइम ब्रांच के पीआई दिनेश लबडे, सपुनि विजय शिंदे, पोउपनी महेश विघ्णे, मपोउपनी वनिता सायकर व स्टाफ, सायबर सेल के पीआई रासकर व टीम, नक्सल सेल के पीआई सचिन म्हेने, सपुनि नाईक व नक्षल सेल की संपूर्ण टीम, चिचगड पुलिस थाना के एपीआई काळेले, व पुलिस टीम, एसडीपीओ ऑफिस स्टाफ, अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्टाफ, सालेकसा पुलिस टीम, एओपी गुनुटोला टीम का सरहानीय प्रयास रहा।

चुनाव की मतदाता सूची में मृतकों के नाम, हमारे क्यों नहीं

गोंदिया-गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को पूरा हो चुका है। लेकिन कई मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। परिणामस्वरूप वोट देने गए नागरिकों को वोट देने के अधिकार से वंचित होना पड़ा। नागरिकों की मांग है कि संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। इसी तरह पंडित सुरेंद्र शर्मा ने जिलाधीश प्रजोत नायर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। पंडित शर्मा सिविल लाइन क्षेत्र के हनुमान चौक के निवासी हैं। यहाँ से वह पिछले 15 वर्षों से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जब वह 19 अप्रैल को भंडारा-गोंदिया लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए सामान्य मतदान केंद्र पर गए, तो पता चला कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं था। उल्लेखनीय है कि मतदाता सूची में कई



ऐसे लोगों के नाम हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उन मतदाताओं के नाम भी हटा दिए गए हैं जो जीवित हैं और पिछले कई वर्षों से मतदान कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि नाम हटाने के लिए पंडित शर्मा की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि उन्होंने जिला प्रशासन से पूछा है कि नाम कैसे कम हो गया। इसके लिए उन्होंने जिलाधीश नायर को ज्ञापन में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस अवसर पर उनके साथ सूरज नशिने और अन्य लोग उपस्थित थे।

संबलपुर पुणे समर स्पेशल एक्सप्रेस के एसी कोच से 33 किलो गांजा जप्त 2 महिला व 3 पुरुष आरोपी हिरासत में गोंदिया रेलवे सुरक्षा बल की कार्रवाई

बुलंद गोंदिया। ऑपरेशन नाकॉस के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यात्री ट्रेनों में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है इसी के अंतर्गत संबलपुर पुणे समर स्पेशल ट्रेन क्रमांक 08327 के एसी कोच एस2 में जांच के दौरान 33 किलो 201 ग्राम मादक पदार्थ गांजा जप्त कर 2 महिला व 3 पुरुष आरोपियों को हिरासत में लिया गया। गौरतलब है की रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन नाकॉस के तहत विशेष जांच अभियान मंडल सुरक्षा आयुक्त दीपचंद्र आर्य के निर्देश में गोंदिया रेलवे सुरक्षा बल के प्रभारी विनोद कुमार तिवारी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। इसी के दौरान 29 अप्रैल को ट्रेन क्रमांक 08327 संबलपुर-पुणे

समर स्पेशल ट्रेन से गांजा तस्करी की गुप्त जानकारी प्राप्त होने पर ट्रेन के एसी कोच एस2 की जांच की गई जिसमें 33 किलो 201 ग्राम मादक पदार्थ गांजा जिसकी कीमत 6लाख 64000 बरामद किया गया। उपरोक्त मामले में 3 पुरुष आरोपी व 2 महिला आरोपियों को हिरासत में लिया गया। इस मामले में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा नियमानुसार कार्रवाई कर आगे की जांच के लिए जीआरपी गोंदिया के सुपुद किया गया जहां आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।



दामिनी पथक ने रोका 16 वर्षीय नाबालिक का विवाह

बुलंद गोंदिया। एक तरफ देश आधुनिक युग में आगे बढ़कर तरक्की कर रहा है, वहीं देश के अनेक क्षेत्रों में आज भी पुरानी परंपरा निभाई जा रही है। बालविवाह जैसी प्रथा की रोकथाम के कानून बनाए गये हैं फिर भी कहीं न कहीं ये प्रथा झलकती नजर आती है। हाल ही में गोंदिया जिले में बालविवाह का मामला सामने आया है। जिले के गोंदिया ग्रामीण थाना क्षेत्र में एक कक्षा 9 की 16 वर्षीय बालिका को एन शादी के दिन ही पुलिस की दामिनी पथक ने बचाने का व शादी को रोकने का कार्य किया है। जिले में पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले के मार्गदर्शन में महिलाओं, युवतियों एवं स्कूल, कॉलेज की छात्राओं की सुरक्षा की दृष्टि से दामिनी पथक का गठन किया है, जो निरंतर सक्रियता से कार्य कर रही है। बालविवाह पर भी दामिनी पथक बेहतर कार्य इसे रोकने का कार्य कर चुकी है। हाल ही में बालविवाह को रोकने का कार्य गोंदिया ग्रामीण थाना पुलिस व दामिनी पथक ने संयुक्त रूप से किया है। पुलिस को खबर मिली थी कि 28 अप्रैल को एक नाबालिग लड़की का विवाह कराया जा रहा है। खबर मिलते ही पुलिस टीम ने उस स्थल पर गाँव के

पुलिस पाटील के साथ दबिश दी। घर पर उक्त लड़की और उसकी माँ, परिजन उपस्थित थे। घर के बाहर मंडप लगा हुआ था और शादी की सारी तैयारी हो चुकी थी। दामिनी पथक ने लड़की की उम्र जानने के लिए पुछा दस्तावेज खंगाले तो लड़की की उम्र सिर्फ 16 साल और उसने हाल ही में कक्षा 9 की परीक्षा दी थी। लड़की के नाबालिग होने का सिद्ध होने पर इस बालविवाह को रोककर, लड़की के परिजनों को समझाया गया। इस बालविवाह को रोकने पर पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले, अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा, के मार्गदर्शन में पो.ठाणे गोंदिया ग्रामीण के सहा.पोलीस निरीक्षक, वर्मा, पो.उप.नि. मट्टामी, दामिनी पथक के मपोउपनि भावना राऊत, पोशि- राजेंद्र अंबादे, रमेंद्र बावनकर, मपोशि पुनम मंजुटे, भांदककर, चालक मपोशि- रंगारी, एवं पो. स्टे. गोंदिया ग्रामिण के पोलीस हवा. मरहस्कोले, इंद्रजित भुते, पो.शि. नागदेवे, मपोशि- शेंद्रे, गणविवर वही बालविवाह मुक्त भारत अभियान के ज्ञानेश्वर पटले, विशाल मेश्राम, पुजा डोंगरे, सुमित गोंडणे ने संयुक्त रूप से कार्यवाही कर नियोजित बालविवाह रोकने में सफलता प्राप्त की।



नियम तोड़ने पर हो सकती है एक साल तक की जेल

अब तक कुल 135 चैन पुलिंग के मामले दर्ज
गोंदिया-भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों के लिए बनाए गए नियमों की जानकारी हर यात्री को होनी चाहिए. नियमों से अनजान होना भारी पड़ सकता है. अगर अनजाने में भी किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो रेल अधिनियम के तहत बिना उचित व पर्याप्त कारण ट्रेन में अलार्म चैन को खींचने पर एक हजार रु. का जुर्माना या एक साल तक की जेल हो सकती है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल में जहां एक ओर परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए अधोसंरचना विकास व तीसरी रेल लाइन निर्माण कार्यों को तीव्र गति से पूरा किया जा रहा है ताकि इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी बल्कि यात्री ट्रेनों की परिचालन क्षमता को भी गति मिल सके. रेलवे परिचालन का दबाव काफी हद तक कम किया जा सकेगा और अधिक से अधिक ट्रेनों का परिचालन तथा ट्रेनों की समयबद्धता बेहतर होगी व रेल सेवा में बढ़ोतरी के साथ-साथ रेल यात्रियों को बेहतर, सुगम और सुरक्षित रेल सेवा प्रदान किया जा सकेगा. वहीं दूसरी ओर रेल यात्रियों द्वारा लगातार रेल निमयों का उल्लंघन कर रेल परिचालन को बाधित किया जा रहा है. मंडल के विभिन्न रेल खण्डों में रेल यात्रियों द्वारा बिना किसी ठोस वजह के ट्रेन में लगे अलार्म चैन पुलिंग के कुल 135 मामले अप्रैल माह में अब तक दर्ज किए गए हैं जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई है, जिसमें गोंदिया, राजनांदगांव, दुर्ग-रसमडा रेल खंड, डोंगरगढ़, राजनांदगांव आउटर, गोंदिया स्टेशन/आउटर शामिल है.

महाराष्ट्र दिवस पर पालकमंत्री के हस्ते हुआ ध्वजारोहण

गोंदिया- महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की 64 वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1 मई को सुबह 8.00 बजे क्रांज का पुलिस मुख्यालय ग्राऊंड पर राज्य के अन्न व औषध प्रशासन मंत्री तथा जिले के पालकमंत्री धर्मरावबाबा आत्राम के हस्ते मुख्य शासकीय समारोह में ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर जिले के कलेक्टर प्रजित नायर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. मुरुगानथम, जिला पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर समारोह में पहुंचने के उपरांत सर्वप्रथम पालकमंत्री श्री आताम ने ध्वजारोहण कर राष्ट्र ध्वज की वंदना की, वहीं उसके उपरांत परेड का निरीक्षण किया। पुलिस बैंड की धुन पर पुलिस पथक द्वारा परेड का प्रदर्शन किया गया, वहीं महाराष्ट्र गीत की प्रस्तुती दी गई। परेड ग्रुप में पुलिस पुरुष दल, पुलिस महिला दल, होमगार्ड पुरुष पथक, होमगार्ड महिला पथक, पूर्व सैनिक दल, एन.एम.डी. कॉलेज गोंदिया एन.सी.सी. पथक, बैंड पथक, क्षान पथक, रुग्णवाहिका पथक व अग्नीशमन पथक ने परेड में मार्च पास्ट किया। इस अवसर पर पालकमंत्री धर्मरावबाबा आत्राम ने महाराष्ट्र राज्य स्थापना की 64 वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रगतिशील



महाराष्ट्र राज्य निर्माण करने के लिये जिले के नागरिकों के सहयोग की अपेक्षा व्यक्त करने के साथ ही रा'य सरकार की ओर से प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अपर कलेक्टर घनश्याम भूगावकर, अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा, निवासी कलेक्टर विजया बनकर, डिप्टी कलेक्टर (सामान्य) मानसी पाटील, डिप्टी कलेक्टर (निर्वाचन) किरण अंबेकर, डिप्टी कलेक्टर (भूसंपादन) भैय्यासाहेब बेहरे, अतिरिक्त मु्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. तानाजी लोखंडे, उपविभागीय अधिकारी पर्वणी पाटील, उपविभागीय पुलिस अधिकारी रोहिणी बानकर, पुलिस उपअधीक्षक (गृह) नंदिनी चानपूरकर के साथ ही विविध विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार व नागरिक बड़ी संया में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संपूर्ण संचालन गुरुनामक स्कूल की सेवानिवृत्त मुयाध्यापिका मंजुश्री देशपांडे ने किया।

मातोश्री पगडंडी योजना पर अनदेखी

गोंदिया- किसानों को समृद्ध बनाने के लिए राज्य सरकार किसानों के हित में नई-नई योजनाएं लागू करती है. जिससे तत्कालीन राज्य सरकार ने किसान मातोश्री पगडंडी मार्ग योजना लागू की. खेतों में पैदा होने वाली उपज, यांत्रिक उपकरण आदि खेतों तक पहुंचाने के लिए उक्त योजना का उपयोग हो सके. लेकिन इस योजना के धराशायी होने की तस्वीर फिलहाल जिले में देखने को मिल रही है. फिर यह योजना जिले के किसानों के लिए दिवास्वप्न है और उक्त योजना को लेकर किसानों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है.

अलग-अलग जगह से 2 मोटरपंप हुए चोरी

गोंदिया-आमगांव थाने के तहत किडंगीपार निवासी फियादी तिलकसिंह नरेंद्रसिंह परिहार के खेत से अज्ञात व्यक्ति ने मोटर पंप चुरा लिया. जिसकी कीमत 8 हजार रु. बताई गई है. फियादी की शिकायत पर आमगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है. जांच हवलदार गजपुरे कर रहे हैं. वहीं दूसरी घटना गंगाझरी थाने के तहत डोंगरगांव में घटित हुई. जहां फियादी झामलाल दसराम बिसेन के खेत में लगी मोटरपंप अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया. जिसकी कीमत 3 हजार रु. बताई गई है. फियादी की शिकायत पर गंगाझरी पुलिस ने मामला दर्ज किया है. जांच पुलिस उपनिरीक्षक पराग उल्लेखार कर रहे हैं.



अनेक ग्राम पंचायतों की इमारतें हुई जर्जर

गोंदिया-जिले में 547 ग्राम पंचायतें हैं. जिनमें से अधिकांश ग्राम पंचायतों की इमारत जर्जर अवस्था में हैं. जिससे वहां के सर पंच सहित अन्य पदाधिकारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जिले की 7 ग्राम पंचायतों के पास तो स्वयं की इमारत ही नहीं है. ग्राम पंचायतों की हालत ही जर्जर रहेगी तो गांव का विकास कैसे होगा, यह सवाल निर्माण हो रहा है. जिले की 40 ग्राम पंचायतों की इमारत जर्जर हो चुकी है. गांव के विकास की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है, लेकिन ग्राम पंचायत स्वयं अपने विकास के लिए तत्स रही हैं. गांव का विकास और ग्रामीणों को

सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम ग्राम पंचायत का है. ग्राम पंचायतों की बैठक, ग्रामसभा का आयोजन ग्रामपंच के पास स्वयं के उपलब्ध कक्ष में किया जाता है. लेकिन 47 ग्राम पंचायतों के पास ग्रामपंच का कामकाज करने के लिए जगह ही नहीं है. जिससे गांव की जिला परिषद शाला में कामकाज करना पड़ता है. ऐसे में ग्राम पंचायत के कामकाज के लिए इमारत का निर्माण करने की आवश्यकता है. 47 में से 7 ग्राम पंचायतों के पास स्वयं की इमारत नहीं है. बची 40 ग्राम पंचायतों की इमारत जर्जर हो चुकी है. जहां का कामकाज समाज भवन, पुरानी इमारत व शाला के कक्ष में शुरू होने की बात कही जा रही है.

संपादकिय...

‘नई सांस’ था कोरोना टीका

कोरोना वैश्विक महामारी से जुड़ी एक खबर हम सभी को चिंतित, व्यथित कर सकती है, लेकिन चिकित्सकों ने इसे घबराहट का मुद्दा न मानने की सलाह दी है। दुनिया में कोरोना महामारी के दौरान ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक टीके का आविष्कार किया था। उस टीके को भारत में ‘कोविशील्ड’ के नाम से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बेचा और वितरित किया। चूँकि इतने लंबे अंतराल के बाद ब्रिटिश मीडिया के जरिए यह खुलासा हुआ है कि एस्ट्राजेनेका के टीके से खून में थक्के जम सकते हैं और व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ सकता है। कंपनी ने अदालत में यह स्वीकार भी किया है, लेकिन इसे ‘दुर्लभ प्रभाव’ भी माना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रपट 2021 में आई थी, जिसका निष्कर्ष था कि कोरोना टीके से 10,000 में से मात्र एक व्यक्ति ही ‘साइड इफेक्ट’ का शिकार होता है। खबर इसलिए चिंतित करती है, क्योंकि भारत में सर्वाधिक 175 करोड़ खुराकें ‘कोविशील्ड’ टीके की दी गई थीं और 36.39 करोड़ खुराकें ‘कोवैक्सीन’ टीके की दी गईं। इस टीके के निर्माण में भारत सरकार की भी हिस्सेदारी है। बहरहाल ब्रिटेन में कोरोना टीके के दुष्प्रभावों के मद्देनजर 163 लोगों को मुआवजा दिया गया। उनमें से 158 लोगों ने एस्ट्राजेनेका का टीका लगवाया था। कोरोना-काल में टीकाकरण ने दुनिया में 60 लाख से अधिक बीमारों को नई जिंदगी दी और भारत में करीब 34 लाख संक्रमितों को ‘नई सांस’ दी थी। भारत जैसे घनी और संकरी आबादी वाले देश में यह डटा बेहद महत्वपूर्ण और मानवीय माना जा सकता है। भारत में 220 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी गईं। उनमें से 254 लोगों पर ही टीके के दुष्प्रभाव सामने आए, लिहाजा भारत में टीके का उलटा असर 0.00001 फीसदी ही रहा। चिकित्सकों का भी कहना है कि टीके से औसतन 10 लाख लोगों में से जानलेवा जोखिम मात्र एक व्यक्ति को ही देखा गया, जबकि टीके ने महामारी की घातकता 80-90 फीसदी तक कम की। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाई। दरअसल थका जमने की बीमारी को मेडिकल भाषा में ‘टीटीएस सिंड्रोम’ कहते हैं, जो करीब 100 साल पुराना है। दिल का अचानक दौरा पडना, अचानक अचेत होकर जमीन पर गिर जाना, हार्ट अटैक से मौत हो जाना आदि कोरोना टीका लगाने से पहले भी मौजूद थे। यदि 2022 में, कोरोना के चरम के ऐन बाद, हार्ट अटैक से 32,410 अचानक मौतें हुईं, तो 2019 से पहले भी 24-25,000 ऐसी ही मौतें हुई थीं। चिकित्सकों का सवाल है कि वे मौतें क्यों हुईं? तब तो कोरोना महामारी नहीं थी? लिहाजा शोभत चिकित्सकों की स्थापना है कि ऐसा कोई वैज्ञानिक और क्लिनिकल साक्ष्य नहीं है, जो कोरोना टीके का सीधा संबंध मौत के साथ साबित करता हो। ब्रिटिश अदालत में 51 केस एस्ट्राजेनेका के खिलाफ दर्ज किए गए। मुख्य रूप से जेमी स्कॉट अदालत गए और टीके से पीड़ित लोगों ने कंपनी से 1000 करोड़ रूपए तक के मुआवजे मांगे। करीब 20 देशों ने एस्ट्राजेनेका के टीके पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन ये सभी ‘अर्द्धसत्य’ ही थे।

1 मई को ही क्यों मनाते हैं मजदूर दिवस? इस दिन का इतिहास और इस वर्ष की थीम

दुनियाभर में मई माह में मजदूर दिवस मनाया जाता है। श्रमिकों के लिए एक दिन समर्पित करने का बड़ा कारण है। मजदूर दिवस मनाने का महत्व विभिन्न देशों में अलग-अलग हो सकता है लेकिन यह एक संदेश देता है कि मजदूरों का योगदान समाज में महत्वपूर्ण है और उन्हें सम्मान व न्याय मिलना चाहिए।

मजदूर समाज की आधारभूत ढांचे को सुनिश्चित करते हैं। वे श्रम करके उत्पादन का संचालन करते हैं, जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास संभव होता है। श्रमिकों का समाज में योगदान न केवल आर्थिक रूप से है, बल्कि उनके अधिकारों और सामाजिक स्थिति के मामले में भी महत्वपूर्ण है। श्रमिकों के सम्मान के साथ ही उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाने के उद्देश्य से इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत हुई।

आइए जानते हैं कि मजदूरों के लिए यह दिन कब और कैसे समर्पित किया गया? पहली बार मजदूर दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई और इस दिन का इतिहास,

पैसे के लिए मां का गला घोटने की हुई कोशिश

गोंदिया-आरोपी हमेशा शराब पीकर घर आकर अपनी मां से झगड़ा करता है। 29 अप्रैल को जब महिला घर पर थी तो लड़के ने यह कहकर अपनी ही मां का गला घोटने की कोशिश की कि वह पैसे नहीं दे रही है। यह घटना गोरगांव तहसील के शहरवानी में घटित हुई। गंगाझारी पुलिस ने आरोपी



रोहित जगदीश तुरकर (32) को गिरफ्तार कर लिया है। गोरगांव तहसील के शहरवानी का रोहित तुरकर शराब का आदी था। हमेशा घर आकर पैसों की मांग करता था, पैसे नहीं देने पर विवाद व मारपीट भी करता था। 29 अप्रैल को शाम करीब 7 बजे रोहित की मां सुनीता जगदीश तुरकर घर पर थीं। रोहित शराब पीकर घर आया। उसने अपनी मां से



महत्व व थीम क्या है।

मजदूर दिवस का इतिहास

अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस पहली बार 1889 में मनाने का फैसला लिया गया। हालांकि इसकी शुरुआत 1886 से ही हो गई थी। इसे मनाने की आवाज अमेरिका के

शिकागो शहर में बुलंद हुई, जब मजदूर सड़क पर उतर आए।

क्यों मनाते हैं मजदूर दिवस?

1886 से पहले अमेरिका में आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें मजदूरों ने अपने हक के लिए आवाज उठाते हुए हड़ताल शुरू की। आंदोलन की वजह मजदूरों की कार्य अवधि थी। उन दिनों मजदूर एक दिन में 15-15 घंटे कार्य करते थे। आंदोलन के दौरान पुलिस में मजदूरों पर गोलियां चलाईं, जिसमें कई श्रमिकों की जान चली गई और कई घायल हो गए।

मजदूरों की कार्य अवधि कम करने की मांग

घटना के तीन साल बाद 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें तय किया गया कि हर मजदूर की प्रतिदिन का कार्य अवधि 8 घंटे ही होगी। वहीं एक मई को मजदूर दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया। बाद में अमेरिकी मजदूरों

की तरह ही दूसरे देशों में भी श्रमिकों के लिए 8 घंटे काम करने का नियम लागू कर दिया गया।

भारत में मजदूर दिवस

1 मई 1889 में अमेरिका के मजदूर दिवस मनाने के प्रस्ताव के 34 साल बाद भारत में मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत हुई। देश में मजदूर अत्याचार और शोषण के खिलाफ आवाज उठी तो 1 मई 1923 में पहली बार चेन्नई में मजदूर दिवस मनाया गया। लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की अध्यक्षता में मजदूर दिवस मनाने का ऐलान किया गया।

मजदूर दिवस की थीम

हर साल मजदूर दिवस की एक विशेष थीम निर्धारित होती है। मजदूर दिवस 2023 की थीम %सकारात्मक सुरक्षा और हेल्थ कल्चर के निर्माण के लिए मिलकर कार्य करना। इस वर्ष मजदूर दिवस 2024 का फोकस जलवायु परिवर्तन के बीच कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने पर है।

2 ट्रकों में भिड़ंत, दोनों चालक घायल

लाखनी-लाखनी से कोलकाता जाने वाले ट्रक को विपरीत दिशा से तेज गति से आ रहे ट्रक की टक्कर हो गयी। इससे दोनों ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गये। 28 अप्रैल की रात करीब 1.30 बजे लाखनी स्थित उड़ान पुल पर उक्त घटना घटी। प्राप्त जानकारी के अनुसार



लाखनी स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 पर फ्लाइंग ओवर से ट्रक क्रमांक ओडी 11 एम 1417 का ड्राइवर नागपुर से कोलकाता जा रहा था, तभी ट्रक क्रमांक एमपी. 20 एचबी 4173 के चालक ने अपने वाहन को सामने से लापरवाहीपूर्वक तेज गति से दौड़ाकर ट्रक क्रमांक डी 11 एम. 1417 को टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रक में बैठे राजकुमार उमेशराव

यादव घायल हो गये। आरोपी ट्रक ड्राइवर खुद भी घायल हो गया। ग्रामीण अस्पताल लाखनी की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार एवं मुकेश कुमार राजदेवराय यादव की शिकायत पर ट्रक क्रमांक एम.पी. 20 एचबी 4173 के चालक के खिलाफ लाखनी पुलिस में मामला दर्ज किया है। इस घटना की आगे की जांच पुलिस उपनिरीक्षक देवीदास बागडे कर रहे हैं।

उपसरपंच भिवागड़े के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कोदामेडी-केसलवाड़ा ग्राम का मामला

सड़क अर्जुनी-तहसील के महत्वपूर्ण समझे जाने वाले कोदामेडी-केसलवाड़ा ग्राम पंचायत के उपसरपंच पद से प्रवीण तेजराज भिवागड़े के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। उल्लेखनीय है कि कोदामेडी ग्राम में सरपंच सहित सदस्यों की संख्या 9 है और उनमें से उपसरपंच को छोड़कर सभी सदस्यों ने 25 अप्रैल को सड़क अर्जुनी के तहसीलदार को अविश्वास नोटिस दिया था। उस नोटिस के मद्देनजर 29 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तहसीलदार ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया। सरपंच विनोद पुसाम, ग्राम सदस्य रामदास भिवागड़े, निशांत राऊत, अंजुम खान, सुलोचना भूमिश्र, कामिनी चांदेवार, रोशनी शेलारे और कुसुम तरुने सभी ने



अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इसका मतलब यह है कि उपसरपंच को छोड़कर सभी पदाधिकारी अविश्वास के पक्ष में थे। उल्लेखनीय यह है कि बैठक में उपसरपंच भिवागड़े उपस्थित नहीं थे। इसके बाद तहसीलदार ने बैठक की कार्यवाही पूरी की। पूरी बैठक समाप्त होने तक कार्यवाही पुलिस की निगरानी में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।

गेट व लोहे की सरिया चोरी

भंडारा- मोहाड़ी खापा रोप वन प्लांट स्टेशन की कपांड दीवार पर लगे 18,660 रुपए कीमत के लोहे के सरिया और गेट अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिए। सिहोरा निवासी वनरक्षक ज्ञानेश्वर आनंद कहलकर (30) को सौंइया जंगल परिसर में गश्त के दौरान मोहाड़ी खापा रोप वन प्लांट स्टेशन परिसर से 16,660 लोहे की सरिया कुल 311 नटबोल्ट और 3 लोहे के गेट चोरी होने की जानकारी मिली। सिहोरा पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।

ट्रक की टक्कर में विद्यार्थी घायल

गोंदिया-नवेगांवबांध थाने के तहत परसोडी/वैयत निवासी शौर्य जितेंद्र मोहल्ले स्कूल से घर जा रहा था। इसी बीच कोहमारा से नवेगांवबांध मार्ग पर कोहमारा की ओर से आ रहे ट्रक क्र. एमएच 40 एन 7338 के चालक ने ट्रक लापरवाहीपूर्वक चलाकर विद्यार्थी को टक्कर मार दी। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

मोटरसाइकिल चोरी

गोंदिया- शहर थाने के तहत सिंगलटोली आंबेडकर वार्ड निवासी फिर्यादी नरेश जीवनलाल शेंडे (44) के घर के आगे रखी मोटरसाइकिल क्र. एमएच 35 - एपी 1349 अज्ञात व्यक्ति ने चुरा ली।

कैनल की जगहों पर ले-आउट का कब्जा

गोरगांव-शहर में स्थित मध्यम प्रकल्प कैनलों की जगहों पर धीरे-धीरे अब ले-आउट का कब्जा होते जा रहा है। गोरगांव-ठाना मार्ग पर स्थित ले-आउट में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें पावर हाउस के करीब दो ले-आउट तथा माउंट कान्वेंट पब्लिक स्कूल के ठीक सामने वाला ले-आउट शामिल हैं। ऐसे में क्या गोंदिया मध्यम प्रकल्प विभाग इस विषय पर कार्रवाई करेगा? ऐसे सवाल किसानों के बीच उठने लगे हैं। यहां 26 अप्रैल को विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने तीनों ही ले-आउट का जायजा लिया है जिसमें तीनों जमीन मालिक को विभाग द्वारा जल्द ही नोटिस जाहिर किए जाने की बात अभियंता हिरापुरे द्वारा बताई गई है। जानकारी के अनुसार शहर में गोरगांव ठाना मार्ग पर गोंदिया जिला मध्यम प्रकल्प विभाग के तहत किसानों की सहूलियत के लिए कैनल तैयार



किए गए हैं। जिसमें पावर हाउस से लगे हुए कैनल की चौड़ाई करीब 20 मीटर बताई जा रही है। कैनल के दोनों ओर 10/10 मीटर जगह किसानों के आवागमन के लिए छोड़ी गई है

दिया जाएगा नोटिस

इस बीच अभियंताहिरापुरे ने बताया कि गोरगांव में स्थित सभी कैनलों का भूमापन किया जाएगा साथ ही जल्द ही जमीन मालिकों को विभाग द्वारा नोटिस जाहिर किया जाएगा।

दो बाइक की आमने-सामने भिड़ंत, दो की मौत, दो घायल

गोंदिया-तहसील के दासगांव मार्ग पर स्थित निलज गांव के पास हुई दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने भीड़ंत में दो लोगों की मौत हो गई। वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना 26 अप्रैल की श्याम 7.30 बजे के करीब घटित हुई। मृत व्यक्तियों के नाम सुर्याटोला निवासी राजेश शोगोजी गौतम (44) व छोटा रजेगांव निवासी जितेंद्र हरिविठ्ठल पटले (26) बताया गया है। वहीं घायलों में कन्हारटोला निवासी पवन भैयालाल ठाकरे (49) व दासगांव निवासी राजेंद्र रहांगडाले (35) का समावेश है। सुर्याटोला निवासी राजेश शोगोजी गौतम (44) यह समधी कन्हारटोला निवासी पवन भैयालाल ठाकरे (49) के साथ मोटरसाइकिल क्र. एमएच 35 डू एयु 1982 से फुटला (म.प्र.) बहन के यहा शादी समारोह में जा रहे



थे। इसी बीच श्याम को करीब 7.30 बजे के दौरान दासगांव मार्ग पर स्थित निलज गांव के पास दासगांव की ओर से आ रहे मोटरसाइकिल क्र. एमएच 35 डू एर 6928 को सामने से टक्कर मार दी। जिसमें सुर्याटोला निवासी राजेश शोगोजी गौतम (44) व छोटा रजेगांव निवासी जितेंद्र हरिविठ्ठल पटले (26) की मौत हो गई। तो कन्हारटोला निवासी पवन भैयालाल ठाकरे (49) व दासगांव निवासी राजेंद्र रहांगडाले (35) गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही रावणवाड़ी पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। मृत व्यक्तियों का केटीएस जिला सामान्य अस्पताल में शवविच्छेदन कर परिवार को सौंप दिया गया। वहीं घायलों पर निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। फिर्यादी सुर्याटोला निवासी राहुल राजेश गौतम (24) की शिकायत पर रावणवाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

पलसगांव में रेत का अवैध डिपो, 75 ब्रास रेत स्टॉक जब्त

गोंदिया-जिले की सड़क अर्जुनी तहसील पूरा रेत घाट फिलहाल बंद है। लेकिन रेत की बिक्री जोरों पर चल रही है। यह रेत न केवल तहसील में है बल्कि तहसील के बाहर भी बिक्री के लिए भेजी जाती है। तहसील के पलसगांव से लेकर भट्टोला के खेतों तक बड़ी मात्रा में रेत के ढेर लग गए हैं। यह रेत बिना अनुमति के चुलबंद नदी तल के बाहर उड़ाने की गई है। क्षेत्र में बिना अनुमति के ढेरों रेत के ढेर लगे हुए हैं। राजस्व विभाग ने 3 बड़े ढेरों पर कार्रवाई कर 75 ब्रास रेत स्टॉक जब्त किया है। रेत को चोरी होने से बचाने के लिए उस पर चूना भी डाला गया है। खेत गट क्र. 281 आराजी 1-00 में से 0.02 इस जगह पर 15 ब्रास रेत इस क्षेत्र में रखी गई थी। यह खेत सौंदर्य निवासी ओमप्रकाश सावजी चांदेवार का बताया जा रहा है, जबकि इस स्थान पर शासकीय गट क्र. 367 आराजी में से 0.04 में 60 ब्रास रेत रखी हुई थी। कुल 75 ब्रास रेत का पंचनामा सौंदर्य के पटवारी कुशेश कोतवाल सचिन कोरे, पुलिस पाटिल वसंत कापगते द्वारा किया गया है और रेत पुलिस पाटिल को सौंप दी गई है। पंचनामे में बताया गया है कि राजस्व विभाग को यह नहीं पता कि इस रेत का भंडारण किसने किया है। रेत की बाजार दर 5400

रु. है और राजस्व विभाग चोरी की रेत की मात्रा का 5 गुना जुर्माना वसूलता है, अज्ञात व्यक्ति पर कुल 20 लाख 25 हजार रु. का जुर्माना लगाया गया है। अब देखना यह है कि राजस्व विभाग इस रेत को कब अपने कब्जे में लेता है उल्लेखनीय है कि इससे पहले राजस्व विभाग ने तहसील में रेत के ढेरों का पंचनामा किया था। लेकिन उसमें से रेत की चोरी हो गई है। जबकि एमएच 40 एन 7338 के बाहर होने से संभावना है कि रेत के अंधेरे में रेत चोरी हो जाएगी। कोसमतोंडी वन क्षेत्र के गोंगले बीट में वन विभाग के कर्मचारियों को रात को गश्त के दौरान दो ट्रैक्टरों को रेंगोपार वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 1335 में एक नाले से अवैध रूप से रेत खनन और परिवहन करते पाया गया। जिसमें रेंगोपार निवासी आरोपी सुरेंद्र महिपाल इडपाचे (40), अक्षय नामदेव शहारे (27) ट्रैक्टर (क्र. एमएच 35 - एआर 5484) से रेत परिवहन कर रहे थे। साथ ही हलबीटोला निवासी आरोपी जयेंद्र केदार राऊत, किशोर मनोहर भादंडे, दिलीप सूरिचंद राऊत, विलास देवेंद्र राऊत ट्रैक्टर (क्र. एमएच 35-एजी 0172) से रेत परिवहन कर रहे थे। दोनों ट्रैक्टरों को जब्त कर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया

RPF ने लौटाया महिला यात्री का छुटा बैग

गोंदिया-यात्रियों के सुरक्षित और भयमुक्त यात्रा सुनिश्चित करने की दिशा में मंडल संरक्षा विभाग द्वारा बेहतरीन - कार्य किया जा रहा है. इसके अलावा रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के साथ ही यात्रियों की हरसंभव सहायता भी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा की जा रही है. रेलवे सुरक्षा बल ने एक महिला यात्री को ट्रेन में छूट गया बैग सुरक्षित वापस लौटा दिया. सूत्रों के अनुसार रेलवे सुरक्षा बल उमरिया चौकी को ट्रेन क्र. 15231 बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस के कोच क्र. एस 03 में महिला यात्री विभा सिंह का एक काले कलर का बैग छूटने की सूचना आरपीएफ सुरक्षा नियंत्रण कक्ष से मिलने पर उमरिया स्टेशन ड्यूटी में तैनात आरक्षक एस.पी. शुक्ला द्वारा ट्रेन के उमरिया प्लेटफार्म में 8.30 बजे आने पर एस 03 कोच को अटेंड किया गया तथा बर्थ नंबर 40 में सफर कर रहे अन्य यात्री द्वारा पूछताछ के दौरान बताया अनुसार बैग उतारा गया तथा महिला यात्री को सूचित किया गया. उक्त महिला यात्री के



उमरिया चौकी में उपस्थित होने पर महिला यात्री के बताया अनुसार बैग व उसमें रखे सामानों की जानकारी के अनुसार बैग के अंदर एक रियलमी मोबाइल, एक जोड़ी सोने के कंगन, एक नग हार, अंगूठी व नगद 1040 रु., कुल कीमत 450000 रु. (साढ़े चार लाख रु.) सही सलामत महिला को सुपुर्द किया गया. जिस पर महिला ने रेलवे प्रशासन का आभार माना.

महाराष्ट्र सरकार की तिजोरी में आरटीओ विभाग ने डाला 60 करोड़ का राजस्व

गोंदिया-उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय गोंदिया ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में महाराष्ट्र सरकार के तिजोरी में रिकॉर्ड 59 करोड़ 29 लाख सरकारी राजस्व अर्जित कर जमा करने में अथक प्रयास किया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 6 करोड़ रुपये अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। इसमें मुख्य रूप से वाहन कर, विभिन्न सेवाओं के शुल्क और जुर्माना आदि शामिल हैं। इस वर्ष कार्यालय के माध्यम से 17 हजार 457 दोपहिया, 1 हजार 828 चार पहिया एवं 2 हजार 684, अन्य कुल 21 हजार 969 वाहनों का पंजीयन किया गया है। कार्यालय के वायु वेग दस्ता ने 4 हजार 649 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर 1 करोड़ 51 लाख रुपये दंड की वसूली की है। वहीं देवरी बॉर्डर चेक पोस्ट ने 7 करोड़ 18 लाख का राजस्व वसूलने में सफलता प्राप्त की है। उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजवर्धन करपे ने कहा कि गोंदिया जिला नक्सल प्रभावित, आदिवासी बहुल और पिछड़ा होने के बावजूद उप क्षेत्रीय परिवहन गोंदिया कार्यालय ने सरकार को बड़ी मात्रा में राजस्व पहुंचाया है ये विशेष उल्लेखनीय है।



दोपहर के समय ट्राफिक सिग्नल बंद करने की मांग

गोंदिया-गर्मी के इस मौसम में दोपहर के समय चिलचिलाती धूप में ट्राफिक सिग्नल पर खड़े रहकर सिग्नल क्लियर होने की प्रतीक्षा करना वाहन चालकों को काफी दिक्कतों भरा हो रहा है. जिसके लिए सोशल मीडिया के जरिये ट्राफिक सिग्नल बंद करने की मांग की जा रही है. उल्लेखनीय है कि सूरज की तपीश ने हर किसी को हलाकान कर रख दिया है. इक्का दुक्का वाहन चालक ही दोपहर के समय सड़कों पर नजर आ रहे हैं. ऐसे में शहर के जयस्तंभ चौक स्थित ट्राफिक सिग्नल शुरू रहने से वाहन चालकों को भरी धूप में सिग्नल के ग्रीन होने का इंतजार करना पड़ रहा है. दोपहर के समय सड़कों पर ट्राफिक भी बाकी समय की अपेक्षा कम रहता है. वाहन चालकों को हो रही समस्या को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पर जयस्तंभ चौक स्थित ट्राफिक सिग्नल को दोपहर 12 से शाम 4



बजे तक बंद रखने की मांग की जा रही है. वाहन चालकों का कहना है कि दोपहर के समय ट्राफिक सिग्नल शुरू रखकर वाहन चालकों को भरी दोपहर में खड़ा रहना पड़ रहा है. यातायात विभाग द्वारा वाहन चालकों को प्रताड़ित किया जा रहा है. इतना ही नहीं तो जयस्तंभ चौक में तैनात पुलिसकर्मी भी सूरज की तपिश से हलाकान हो चुके हैं. वे पूरे दिन यहां खड़े रहकर ट्राफिक को कंट्रोल करने का कार्य कर रहे हैं. अगर दोपहर में 12 से शाम 4 बजे तक ट्राफिक सिग्नल बंद किया जाता है तो वाहन चालकों को राहत मिलेगी.

सैंधमारी के आरोपियों को 5 वर्ष का सश्रम कारावास

गोंदिया-मुख्य न्यायदंडाधिकारी अभिजित कुलकर्णी ने घरो में सैंधमारी करने वाले आरोपी मुरी चौकी निवासी उदय उर्फ आरु रमेश उपाध्याय (19), कुंभारनगर निवासी धम्मदीप अनिल गजभिये (19) को 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000 रु. जुर्माने की सजा सुनाई. उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुंभारनगर गोंदिया के दरवाजे की पट्टी तोड़कर अज्ञात आरोपियों ने 3 मॉनिटर, 3 सीपीयू सहित कुल 75 हजार रु. का माल चुरा लिया था. राजाभोज कॉलोनी, मरारटोली निवासी फियादी सलील वसंतराव पाटिल ने पुलिस थाने में शिकायत की थी. वरिष्ठों के निर्देश पर आरोपी उदय उर्फ आरु रमेश उपाध्याय (19) व धम्मदीप अनिल गजभिये (19) को गिरफ्तार कर उनके पास से माल जब्त किया गया था. आरोपियों के खिलाफ पुख्ता गवाही, साक्ष्य एकत्रित किए गए और आरोपियों के खिलाफ दोषारोप पत्र मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय गोंदिया में प्रस्तुत किया गया. उक्त मामले की सुनवाई में मुख्य न्यायदंडाधिकारी अभिजित कुलकर्णी ने दोनों आरोपियों को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास व 1,000 रु. जुर्माने की सजा सुनाई. मामले की जांच हवलदार जागेश्वर उईके ने की. पैरवी सहायक सरकारी वकील कमलेश दिवेवार ने की. न्यायालयीन कामकाज हवलदार ओमाज जामकाटे, सिपाही किरसान ने देखा.

गोलू तिवारी हत्याकांड के आरोपियों के पास से 2 बंदूक, 7 कारतूस जब्त पुलिस हिरासत में आरोपियों से कड़ी पूछताछ

गोंदिया-पैसों के लेन-देन और धरम दावने की हत्या से नाराज दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार लोगों ने कुड़वा के पास जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के सामने हत्या के एक मामले में जमानत पर रिहा गजानन कॉलोनी निवासी रोहित उर्फ गोलू तिवारी (38) की गोली मारकर हत्या कर दी. उसकी हत्या के लिए लाई गई दो बंदूकें और सात जिंदा कारतूस पुलिस ने जब्त कर लिए हैं. वर्ष 2012 में गोलू तिवारी जो जमानत पर था, की गोली मारकर हत्या कर दी गई. क्योंकि वह धरम दावने की हत्या के मामले में शामिल था. जबकि मामला न्यायालय में लंबित था. इस मामले में पुलिस ने संजयनगर निवासी आरोपी मोहीम मराठे (36), दसखोली निवासी राजेंद्र उर्फ बंटी दावने (42), हिरो दावने



(42), कृष्णपुरा वार्ड निवासी शिवानंद उर्फ सुजल भेलावे (19), गिरोला निवासी विनायक नेवारे (21), कस्तुरबा वार्ड, कचरा मोहल्ला निवासी रिदेश उर्फ सॉटू खोब्रागडे (23) व पत्तानगर जबलपुर निवासी सतीश सुग्रीव सेन (23) सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया आरोपियों के खिलाफ भार्दवी की धारा 302, 34, उपधारा 3, 25 भारतीय हथियार अधिनियम उपधारा 37 (अ) और 135 महाराष्ट्र

पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच करते हुए सहायक पुलिस निरीक्षक राजू बस्तवाड़े और उनकी टीम ने 25 अप्रैल को आरोपियों के पास से इस अपराध में इस्तेमाल की गई दो बंदूकें और सात जिंदा कारतूस जब्त किए हैं. इस मामले की जांच तेजी से चल रही है और इस मामले में आरोपियों ने कई पहलुओं का खुलासा किया है. उपविभागीय पुलिस अधिकारी रोहिणी बानकर ने कहा था कि गोलू मामले में और भी आरोपियों के शामिल होने की संभावना है. जैसे-जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, पुलिस को सबूत जुटाने के लिए कई सबूत मिलते जा रहे हैं.

पुल के गड़े दुर्घटनाओं को दे रहे आमंत्रण

गोंदिया-रेलवे द्वारा विभाजित गोंदिया शहर को जोड़ने वाला एक नया उड़ान पुल है. लेकिन यह नया उड़ान पुल महज 5-6 साल में ही अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा निर्माण के दौरान पुल के निर्माण पर सवालिया निशान लगे थे. लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारियों ने इसे आसानी से नजरअंदाज कर दिया है. इसका परिणाम अब सभी आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है. इस पुल पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं. ऐसे में वाहन चालकों को गड्ढों से बचने के लिए काफी मशकत करनी पड़ रही है. पुल के गड़े दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं. गोंदिया शहर रेलवे द्वारा दो भागों में बंटा हुआ है. इस कारण नया पुल ही संचार का मुख्य साधन है. नये पुल का निर्माण पांच- छह साल पहले हुआ था. इसके अलावा निर्माण के दौरान गुणवत्ता पर भी सवालिया निशान लगे थे. लेकिन इस ओर न तो जन



प्रतिनिधियों ने ध्यान दिया और न ही विभाग के अधिकारियों ने, ऐसे में आज यह पुल और इसकी जर्जर हालत नागरिकों के लिए जानलेवा बन गई है. पुल पर अनेक स्थान पर गड्ढे हो गए हैं. गड्ढों के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है. पुल पर पड़े गड्ढों में बारिश के दिनों में पानी जमा हो जाता है. बारिश होने पर मोटरसाइकिल चालकों को उड़ान पुल पर आवागमन करने में काफी परेशानी होती है. यदि कोई भारी वाहन गुजरता है तो गड्ढे का गंदा पानी नीचे उड़ता है. इस ओर संबंधित विभाग से ध्यान देने की मांग नागरिकों ने की है.

5 मैकेनिकों पर 51 गांवों का भार 1,055 हैंडपंप 755 ग्राम पंचायतें

गोंदिया-गोरेगांव पंचायत समिति में 55 ग्राम पंचायतें और लगभग 90 गांव हैं. इस गांव में 1,055 हैंडपंप हैं. इन हैंडपंपों के रख-रखाव व मरम्मत के लिए पंचायत समिति में हैंडपंप मैकेनिकों को नियुक्त किया जाता है. ग्राम पंचायतों को हैंडपंपों की संख्या और मरम्मत के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं होने के कारण कई हैंडपंप खराब स्थिति में हैं. अतः बड़ी ग्राम पंचायत मोहगांव बु., मुंडीपार, गणखेरा, गुमखेड़ा बु. इस ग्राम स्तर पर हैंडपंपों की मरम्मत कराई जा रही है. लेकिन, प्रशासन यह कहकर अपना पल्ला झाड़ रहा है कि पानी की कोई कमी नहीं है. गोरेगांव तहसील के गांवों में हर साल पानी की कमी हो जाती है. महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को खेतों के कुओं से या जहां भी उन्हें पानी मिल सके, पानी लाना पड़ता है.



हालांकि जलसंकट को लेकर योजना बनाकर जिला परिषद को भेजी गई है, लेकिन हैंडपंप मरम्मत का सामान उपलब्ध नहीं है. प्रति हैंडपंप मरम्मत दर तय कर ग्राम पंचायतों से राशि वसूली जाती है. लेकिन, पंचायत समिति गांव में हैंडपंप मरम्मत के लिए सामग्री उपलब्ध नहीं कराती है. इसके अलावा मात्र 5 हैंडपंप मरम्मत मिस्ट्री ही काम कर रहे हैं.

तालाबों का जिला सिंचाई से दूर

» पूर्व मालगुजारी तालाब हुए समतल, प्रबंधन की आवश्यकता

गोंदिया-गोंदिया और भंडारा जिले को तालाबों का जिला के रूप में जाना जाता है. दोनों जिलों में लगभग 3500 छोटे-बड़े तालाब हैं. इनमें से गोंदिया जिले में लगभग 2130 तालाब हैं. इनमें से 1886 पूर्व मालगुजारी तालाब हैं. 1950 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1963 में तालाबों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार किसानों को तालाबों से सिंचाई का निःशुल्क अधिकार बरकरार रखा गया था. तालाब के सरकार के नियंत्रण में आने के बाद इन तालाबों को पूर्व मालगुजारी तालाब के नाम से जाना जाने लगा. हालांकि अब इन पूर्व मालगुजारी तालाबों को प्रबंधन की वास्तविक आवश्यकता है. चूंकि पूर्वी विदर्भ में औसत वर्षा 1200 से 1600 मिमी. है. जिससे इस क्षेत्र में मुख्य रूप से चावल का उत्पादन लिया जाता है. अगस्त और सितंबर के दौरान औसत वर्षा अच्छी होती है, लेकिन आवश्यक समय पर भारी वर्षा के कारण चावल की खेती को खतरा होता है. अतः चावल की फसल के लिए एक या दो सिंचाई जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तत्कालीन गोंड राजा हिर शाह के आदेश के अनुसार किसानों ने विशेष रूप से पोवार और



कोहली समुदायों के किसानों ने जन भागीदारी के साथ तालाबों का निर्माण किया. गोंड राजा के शासनकाल में राजाश्रय के कारण तालाबों का तेजी से विकास हुआ. इस काल के तालाबों को गोंडकालीन तालाब कहा जाता था. 19वीं सदी में जब ब्रिटिश शासन आया तो तब तालाबों की मालगुजारी वसूली करने के लिए इन तालाबों का स्वामित्व क्षेत्र के कुछ प्रमुख नागरिकों को दे दिया गया और इसे मालगुजारी कहा जाने लगा. यह मालगुजारी लाभ धारकों से एकत्रित राशि में से एक निश्चित राशि सरकार के पास जमा कराता था. जल वितरण, रखरखाव, मरम्मत और गाद हटाने का काम लाभार्थियों द्वारा किया गया था. ब्रिटिश काल के दौरान वसूली की सुविधा के लिए इन तालाबों का स्वामित्व मालगुजारी को हस्तांतरित कर दिया गया था. इसलिए इसका नाम मालगुजारी तालाब पड़ा. उसके बाद इन तालाबों की उपेक्षा की गई

महिला ने किया आत्महत्या का प्रयास

गोंदिया- सड़क अर्जुनी तहसील के ग्राम सावंगी निवासी रविकांता वलथरे (32) ने घर में जहर पी लिया. उसे परिजनों ने प्रथम उपचार के लिए सड़क अर्जुनी के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया. लेकिन उसकी हालत गंभीर होने पर उसे गोंदिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. जहां दे उसका उपचार चल रहा है. शहर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.



बस स्टेशन के शौचालय परिसर में गंदगी का आलम

गोंदिया-देश में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छता रखने का संदेश दिया जा रहा है. इसके अलावा व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय का निर्माण कार्य किया जा रहा है. लेकिन नवेगांवबांध के बस स्थानक का शौचालय गंदगी से पट गया है. जिससे वातावरण दूषित हो रहा है. यात्री के अलावा क्षेत्र के नागरिक भी गंदगी के कारण परेशान हो गए हैं. लेकिन इस समस्या की ओर ग्राम पंचायत का ध्यान नहीं जा रहा है. शासन द्वारा स्वच्छता रखने का संदेश दिया जाता है. लेकिन जिले सहित अनेक क्षेत्र में गंदगी के कारण लोग परेशान हो गए हैं. नवेगांवबांध का बस स्थानक गंदगी की चपेट में आ गया है. लेकिन गत दो-चार माह से ग्राम पंचायत द्वारा इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. इस परिसर से गुजरना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया है. इस बस स्थानक की देखभाल के लिए एक पुरुष को रखा गया था. लेकिन उसे काम से निकालने के बाद यह परिसर गंदगी की चपेट में आ गया. शौचालय में गंदगी परसने के कारण महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.



कचरा डंप मामले पर नप एक्शन में बाजार परिसर के सभी दूकानदारों को तत्काल नोटिस जाहिर

गोरेगांव-शहर में सप्ताहिक बाजार में गंदगी के मामले पर गोरेगांव नगर पंचायत एक्शन मोड में आ गया है. बाजार परिसर में स्थित डंप कचरे की तत्काल सफाई की गई है, साथ ही नगर पंचायत स्वच्छता विभाग द्वारा शहर में स्थित चिकन सेंटर तथा सभी मछली दूकानदारों की तत्काल बैठक बुलाई गई जिसमें प्रत्येक दूकानदारों को एक डस्टबिन दिया गया है. यहां निर्देशों का उल्लंघन करने वालों दूकान मालिक को चेतावनी नोटिस जाहिर किया गया है. जानकारी के अनुसार गोरेगांव शहर के सप्ताहिक बाजार में हो रही गंदगी से यहां नागरिक महिनों से जूझ रहे थे. फैल रही बदबू के चलते

बीमारियों का डर बढ़ रहा था. नगर पंचायत में नागरिकों के शिकायतों की सुनवाई नहीं हो रही थी. ऐसे में यह विषय अखबारों में गरमाने लगा जिसके असर में यहां नगर पंचायत स्वच्छता विभाग अपने काम में लग गया है. 29 अप्रैल को सप्ताहिक बाजार में महिनों से पड़ा डंप कचरा तत्काल उठाया गया है. इतना ही नहीं तो शहर के चिकन सेंटर तथा मछली दूकानदारों की नगर पंचायत में एक बैठक बुलाई गई. स्वच्छता विभाग द्वारा सभी दूकानदारों को डस्टबिन का वितरण किया गया. यहां स्वच्छता विभाग अधिकारी



जगदीश हाथझाडे ने दूकानदारों को अपने दूकानों में स्थित गंदगी आस-पास परिसर में ना फेंकते हुए इस डस्टबिन में जमा करने की हिदायत दी है. साथ ही निर्देशों का उल्लंघन करने वाले दूकानदारों पर 5 हजार रु. का दंड के साथ ही दूकानों की लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी नोटिस द्वारा जाहिर की गई है. ऐसे में महिनों से गंदगी बदबू का सामना कर रहे प्रभाग वासियों को राहत मिलती नजर आ रही है.

मतमंद युवती के साथ दुष्कर्म

आरोपी निरंजन चवरे को 14 वर्ष का सश्रम कारावास

बुलंद गोंदिया- गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव तहसील के एक छोटे से ग्राम के निवासी आरोपी निरंजन पुरुषोत्तम चवरे उम्र 41 वर्ष को 24 वर्षीय मतमंद युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश ए.टी वानखेडे द्वारा दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 14 वर्ष के सश्रम कारावास व 7000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार अर्जुन मोरगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले छोटे से ग्राम के निवासी आरोपी निरंजन पुरुषोत्तम चवरे उम्र 41 वर्ष द्वारा 10 जनवरी 2018 की सुबह ग्राम की 24 वर्षीय मतमंद युवती के साथ दुष्कर्म किया। घटना इस प्रकार है कि वह युवती अपने माता-पिता के साथ रहती तथा उसके माता-पिता मजदूरी के कार्य के लिए बाहर जाते थे। घटना के दिन वह युवती घर में अकेली थी इसी सुनेपन का फायदा उठाकर आरोपी द्वारा उसके घर में जाकर युवती को जबरदस्ती बाथरूम में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के पश्चात पीड़िता द्वारा रोने पर पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने देखा हुआ आरोपी को हटाया जहां से आरोपी फरार हो गया तथा इस घटना की जानकारी महिला द्वारा पीड़िता के माता-पिता को दी। इसके पश्चात पीड़िता के माता-पिता द्वारा अर्जुन मोरगांव पुलिस थाने में



आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 376 (2), (जे), (एल), 450 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच तत्कालीन जांच अधिकारी सहायक पुलिस निरीक्षक अनिल कुमार द्वारा कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध करने के लिए सरकार व पीड़ित पक्ष की ओर से सहायक सरकारी वकील वसंत चूटे ने 7 गवाह व अन्य दस्तावेजों को न्यायालय के समक्ष पेश किया साथ ही सहायक सरकारी वकील कृष्णा डी पारधी ने भी पक्ष रखा। न्यायालय में चले मामले के पश्चात प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश ए.टी वानखेडे द्वारा सबूतों व गवाह के आधार पर आरोपी निरंजन चवरे उम्र 41 वर्ष को भादवि की धारा 376(2)(जे), (एल) के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अतिरिक्त कारावास, तथा धारा 450 के अंतर्गत 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपए जुर्माना न भरने पर 2 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। उपरोक्त मामले में पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले के मार्गदर्शन में पैरवी कर्मचारी पुलिस कृष्ण कुमार अम्बुले पुलिस स्टेशन अर्जुनी मोरगांव द्वारा न्यायालय कार्य में विशेष सहयोग किया।

जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक में दिए निर्देश बच्चों को नियमित टीका लगाएं : जिलाधीश

गोंदिया-बाल मृत्यु दर और कुपोषण को रोकने के लिए टीकाकरण एक प्रभावी उपकरण है। सभी बीमारियों से लड़ने के लिए जन्म से ही विभिन्न आयु समूहों में बच्चे को टीकाकरण दिया जाता है, इससे बीमारी से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा का निर्माण होता है। स्वास्थ्य विभाग जिले के हरा गांव में टीकाकरण सत्र आयोजित कर योजना बनाए ताकि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे। ऐसे निर्देश जिलाधीश प्रजीत नायर ने जिलाधीश कार्यालय के सभागृह में नियमित टीकाकरण सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत 1 जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक में दिए। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. नितिन वानखेडे, उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी (महिला व बाल व कल्याण) संजय गणवीर, जिला मातृ व 7 शिशु देखभाल अधिकारी डा. रोशन राऊत व पुलिस निरीक्षक दिनेश लबडे मुख्य रूप से उपस्थित थे। नायर ने कहा कि जन्म के आधे घंटे के भीतर स्तनपान कराना शिशु का पहला टीकाकरण है। टीकाकरण रोग की गंभीरता को कम करने में मदद करता है, बच्चे की प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नियमित टीकाकरण



कराना महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि प्रत्येक माता-पिता को अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में सरकारी अस्पतालों में निः शुल्क टीका लगवाकर नियमित टीकाकरण कराना चाहिए। डा. रोशन राऊत ने नियमित टीकाकरण सशक्तिकरण कार्यक्रम प्रस्तुत किया और कहा कि सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में विभिन्न प्रकार के टीकाकरण जैसे बीसीजी, हेपेटाइटिस-बी, पोलियो, पेंटावैलेंट, रोटा वायरस, पीसीवी, आईपीवी, खसप-रूबेला, जेई, डीपीटी, विटामिन-ए की खुराक आदि निःशुल्क दी जा रही है। बैठक में सभी तहसील स्वास्थ्य अधिकारी, ग्रामीण अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक, केटीएस जिला सामान्य अस्पताल, बीजीडब्ल्यू महिला अस्पताल और सरकारी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधिकारी और बाल रोग विशेषज्ञ, साथ ही जिला परिषद के प्रचार और प्रसार अधिकारी प्रशांत खरात उपस्थित थे।

अनुत्तीर्ण छात्रों को 10 जून से पूर्व देनी होगी परीक्षा

गोंदिया-इस वर्ष से पांचवीं और आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षाएं हाल ही में हुई हैं- अब इनका परिणाम 1 मई को जारी किया जाएगा- पांचवीं और आठवीं कक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को स्कूल शुरू होने से पहले एक और मौका दिया जाएगा। यह परीक्षाएं 10 जून से पहले होंगी। लेकिन जो विद्यार्थी उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए होंगे, उन्हें उत्तीर्ण होना ही पड़ेगा अन्यथा उन्हें उसी कक्षा में बैठना पड़ेगा। जिससे पांचवीं और आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों का टेंशन बढ़ गया है। सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से शिक्षा नीति में बदलाव किया है। जिससे पहले, 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर छात्रों को एक ही कक्षा में बैठना पड़ता था। अब यही नियम पांचवीं और आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी लागू कर दिया गया है।

महिला के साथ की मारपीट

गोंदिया-गंगाझरी थाने के तहत भानपुर निवासी 47 वर्षीय फियादी महिला की आरोपी व नाबालिग ने मामली बात को लेकर पिटाई कर दी। जानकारी के अनुसार आरोपी अपनी लड़की के साथ विवाद कर रहा था, इस दौरान महिला उसे समझाने गई तो आरोपी और नाबालिग ने उसके गाल पर थपड़ जड़ दिए। जांच हवलदार नीलकंठ रक्से कर रहे हैं।

जहर पीने से लड़की की मौत

गोंदिया-डुंगीपार थाने के तहत झुरकुटोला निवासी सकिना सुखदेव उईके (17) ने घर पर ही जहर गटक ली। उसे ग्रामीण अस्पताल गोरगांव में प्रथम उपचार के बाद केटीएस जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती किया गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। डुंगीपार पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। जांच हवलदार आनंदराव इस्कापे कर रहे हैं।

वाहन की टक्कर से ऑटो पलटा, दो घायल

गोंदिया, ब्यूरो. तेज रफ्तार बोलरो वाहन ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो पलटा गई और उसमें सवार दो लोग घायल हो गए। यह घटना 29 अप्रैल को देवरी मार्ग पर ग्राम डवकी के पास घटी। देवरी-आमगांव मुख्य मार्ग पर डवकी बस स्टैंड के पास ऑटो क्र. एमएच 35, के 1605 देवरी से दरवाजे के चौपट लेकर फुकीमेट्रा मार्ग को ओर जा रहा



था। पीछे से तेज गति से आ रही अनियंत्रित बोलरो वाहन क्र. सीजी 08, एम्ब्यू 6038 ने ऑटो को टक्कर मार दी। जैसे ही चालक ने नियंत्रण खो दिया, ऑटो सड़क से नीचे पलटा गया। जिसमें चालक सहित एक यात्री घायल हो गया। उनका इलाज ग्रामीण अस्पताल देवरी में चल रहा है। इस घटना पर देवरी पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

मोटरसाइकिल पर शराब ले जाते 2 आरोपियों को दबोचा



गोंदिया-गोरगांव पुलिस ने म्हेसगांव रोड़ पर मोटरसाइकिल पर अवैध रूप से शराब ले जा रहे दो लोगों को रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस ने शराब और बाइक जब्त कर ली। बोटे निवासी आरोपी दिगंबर बागडे (32) और म्हेसगांव निवासी रवि कांबले (28) मोटरसाइकिल क्र. एमएच 35-एम्ब्यू 7822 में गोरगांव से म्हेसगांव शराब ले जा रहे थे। इस संबंध में मिली गुप्त सूचना के आधार पर गोरगांव थानेदार अजय भुसारी ने म्हेसगांव रोड़ पर नाकाबंदी की। इसमें दिगंबर बागडे और रवि कांबले को रोककर तलाशी ली गई। उनके पास 180 एमएल के 48 पब्बे देशी शराब मिली।

चुनावी कर्मियों की समस्याएं हल करें- शिक्षक संगठनों ने जिलाधीश को दिया ज्ञापन

गोंदिया-चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कास्ट्राइब शिक्षक संगठन, कास्ट्राइब कर्मचारी महासंघ द्वारा कास्ट्राइब शिक्षक संगठन के जिला अध्यक्ष संजय उके के नेतृत्व में जिलाधीश व जिला चुनाव निर्णय अधिकारी प्रजीत नायर से चर्चा कर ज्ञापन सौंपा गया। सहायक शिक्षक दीक्षांत प्रेमलाल धारगावे को देवरी में चुनाव ड्यूटी के दौरान जहरीले सांप ने काट लिया था। इसके बाद शिक्षक पर उपचार किया गया। लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर होने के कारण उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उनकी हालत दोबारा बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस

विषय पर जिलाधीश से विस्तार से चर्चा की गई। उल्लेखनीय है कि चुनाव ड्यूटी के दौरान घायल या मौत होने पर कर्मियों को परिजनों को सानुग्रह अनुदान दिया जाता है। हिंसक प्राणी, जहरीले जीवों से खतरा होने पर उनके लिए सानुग्रह अनुदान देने की भी मांग की गई। इसके अलावा आगामी चुनाव में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को उचित सुविधाएं दी जाए आदि मांगों का ज्ञापन में समावेश था। इन सभी समस्याओं का हल करने का आश्वासन भी जिलाधीश ने दिया है। प्रतिनिधि मंडल में कास्ट्राइब



शिक्षक संगठन के जिला अध्यक्ष संजय उके, प्रवीण गजभिए, वीरेंद्र भोते, किशोर डोंगरवार, अविनाश गणवीर, अजय शहारे, नितिन अंबाडे, रोशन गजभिए, अमित गडपायले, आशीष रंगारी, रितेश मेथ्राम, अजीत रामटेके, आशीष वंजारी, अनमोल उके, सतीश टेंभकर, दिनेश अंबाडे आदि।

मिलावटी दूध का उत्पादन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें

तिरोड़ा-मिलावटी दूध के उत्पादन व मिलावट करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत संस्था 50 वर्षों से 400 से अधिक जिलों में ग्राहक जागरूकता, प्रशिक्षण और ग्राहकों की समस्याओं को सुलझाने का काम कर रही है। इन दिनों दूध में मिलावट बढ़ गई है, इस दौरान 70 प्रश्न दूध के नमूने मिलावटी पाए गए। यह बात सामने आई कि दूध में मिलावट के लिए डिटजेंट पाउडर का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा यूरिया, रिफाईंड तेल, कास्टिक सोडा, बोरिक आदि का उपयोग कर मिलावट की जाती है। जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं। जिले में खाद्य जांच मोबाइल वैन, उड़न दस्ते



पर्याप्त संख्या में खाद्य निरीक्षक नियुक्त किए जाएं और प्रत्येक तहसील स्तर पर प्रशासन द्वारा निःशुल्क खुले परीक्षण केंद्र स्थापित किए जाने की मांग मुख्यमंत्री, जिलाधीश, आयुक्त, सहायक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन विभाग के नाम तहसीलदार को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से की गई है। प्रतिनिधि मंडल में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत तिरोड़ा के मार्गदर्शक अब्दुल रफीक शेख, अध्यक्ष सुशील भातनकर, संगठन मंत्री वाल्मिकि राऊत, सचिव महादेव घरजारे, सुभाष भोयर, लखन निमजे का समावेश है।

अज्ञात वाहन की टक्कर में 1 घायल

गोंदिया-डुंगीपार थाने के तहत दामो भुराजी उईके राष्ट्रीय राजमार्ग पार कर रहे थे। इसी बीच अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। जिसमें वह घायल हो गया। डुंगीपार निवासी फियादी खुशाल श्रीकृष्ण उईके (24) की शिकायत पर डुंगीपार पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जांच हवलदार गुणवंत कठाणे कर रहे हैं।



उड़ान पुल का निर्माण करने की मांग अंडर ग्राउंड मार्ग पर भारी यातायात

गोंदिया-शहर के छोटे उड़ान पुल के टूटने से लोगों को अंडर ग्राउंड मार्ग से आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिनभर यातायात जाम जैसी स्थिति बनी रहने से वाहन चालकों - को कई दिक्कतें आती हैं। वहीं अभी बेमौसम बारिश का दौर शुरू होने से - अंडरग्राउंड मार्ग में पानी जमा होने और उसमें गंदगी बहने से दोपहिया वाहन चालक तो कैसे भी निकल जाते हैं लेकिन पैदल चलने वालों की मुसीबत हो जाती है। रात के समय फोर वीलर, टू वीलर है तो ठीक, कोई अगर पैदल वाले हो तो उन्हें आने जाने में डर रहता है। साथ ही वहां पर लावारिस कुत्तों का भी बहुत जमावडा होता है। जो लोगों के पीछे काटने के लिए दौड़ते हैं। महिलाओं का तो आना-जाना ही नामुमकिन है। प्रशासन से और नेताओं से निवेदन किया गया है कि रेलवे पुल को शीघ्र शुरू करें और अंडर ग्राउंड मार्ग पर यातायात नियंत्रण करने के लिए 2 यातायात कर्मियों की नियुक्ति करें। लावारिस कुत्तों का भी इंतजाम किया जाए। जिससे वहां पर रात्रि में भी महिलाओं व पैदल चलने वालों को कोई परेशानी न हो। अंडरग्राउंड के बाजू में मालधक्का होने से और भी ज्यादा यातायात जाम रहता है जिससे दुर्घटना होने का डर बना रहता है। नगर



परिषद प्रशासन समय-समय पर वहां के नालियों की सफाई करते रहे तो गंदगी से निजात मिल सकती है। भारी यातायात के बीच छोटे-छोटे बच्चे जो उस ओर स्कूल व कॉलेज जाते हैं उन्हें भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छोटा उड़ान पुल टूटने से शहर के रेलटोली, रामनगर, कुडुवा परिसर के लोगों को मुख्य बाजार क्षेत्र, जिला अस्पताल व शासकीय कार्यों के लिए अंडर ग्राउंड से आने जाने में बहुत परेशानी होती है। दिन में तो ठीक है कि कैसे भी आवागमन हो जाता है लेकिन रात्रि में लावारिस कुत्तों के झुंड का इतना डर रहता है कि मोटरसाइकिल चालक कुत्ते दौड़ने से घबराहट से ही गिरते पड़ते रहते हैं। रात में 9 बजे के बाद महिलाओं का अंडर ग्राउंड से अकेले आना जाना मुश्किल है। मजबूरी में डेढ़ किमी. नए उड़ान पुल से घूम के आना पड़ता है।

बिलासपुर व यशवंतपुर के बीच स्पेशल ट्रेन की सुविधा रायपुर से गोंदिया के बीच यात्री होंगे लाभान्वित

गोंदिया-रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा ट्रेन क्र.08291/08292 बिलासपुर-यशवंतपुर-बिलासपुर समर स्पेशल ट्रेन बिलासपुर व यशवंतपुर के बीच 9 फेरों के लिए चलाई जाएगी। यह ट्रेन बिलासपुर से प्रत्येक शनिवार व मंगलवार को ट्रेन नंबर 08291 बिलासपुर-यशवंतपुर समर स्पेशल ट्रेन 30 अप्रैल से 28 मई तक तथा इसी प्रकार विपरीत दिशा में भी यशवंतपुर से प्रत्येक सोमवार व गुरुवार को ट्रेन क्र. 08292 यशवंतपुर-बिलासपुर समर स्पेशल



ट्रेन 2 से 30 मई तक चलेगी। इस स्पेशल ट्रेन में 2 एसएलआर, 06 सामान्य, 10 स्लीपर, 02 एसी थी, 01 एसी-टू श्रेणी सहित कुल 21 कोच रहेंगे। ट्रेन क्र. 08291 बिलासपुर-यशवंतपुर एक्सप्रेस 20 बजे बिलासपुर से छुट्टेगी जो गोंदिया 1 बजे पहुंचेगी और 00.15 बजे यशवंतपुर पहुंचेगी। उसी प्रकार 08292 यशवंतपुर- बिलासपुर एक्सप्रेस यशवंतपुर से 5 बजे छुट्टेगी जो 3.40 बजे गोंदिया पहुंचेगी और 9 बजे बिलासपुर पहुंचेगी